138

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल–462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 09/2015

क्रमांक /2633/19/यो/2015 राज्य शासन एतद् द्वारा म0प्र0शासन लोक निर्माण के आदेश क्रमांक एफ 12/41/94/19/बी भोपाल, दिनांक 14 मई,1997 को संशोधित करते हुये निर्माण कार्यो में अन्तर्विभागीय कार्यो पर निम्नानुसार पर्यवेक्षण शुल्क लिया जाना निर्धारित किया जाता है:–

1. राज्य शासन के किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य विभाग के कार्य कराये जाने पर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लगाया जायेगा ।

2. परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग केवल अन्य विभागों के लिए ही कार्य करता है एवं परियोजना क्रियानवयन इकाई द्वारा अन्य विभागों से लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में पूर्व से ही जारी आदेश लागू रहेगें ।

3. राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित उपक्रम एवं निकायों के कार्यो को सम्पादित करने के लिए राज्य शासन के विभागो द्वारा 6 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क लिया जायेगा ।

4. अन्य किसी भी संस्था/उपक्रम के कार्य सम्पादित किए जाने पर राज्य शासन के विभागो द्वारा 9 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क लिया जाएगा।

5. किसी भी विभाग या राज्य शासन के निकाय/निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्य से अन्य विभाग या अन्य निकाय के पूर्व से निर्मित भवन, सरंचना या अन्य निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं तो निर्माण करने वाली संस्था द्वारा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना होगा । इस प्रकार के अनापत्ति–प्रमाण पत्र पर कोई भी विभाग या शासकीय निकाय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगे ।

6. यदि किसी नये कार्य के कराये जाने से पूर्व में निर्मित कार्य प्रभावित होते हैं तो नया कार्य कराने वाले विभाग/निकाय पूर्व में निर्मित कार्य को पूर्व स्थिति मे निर्मित कर वापस देगे ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ0क्रमांक आर–2633 / 19 / यो / 2015, 1760 भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर,2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन /लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / लोक निर्माण विभाग, / नगरीय प्रशासन विभाग / आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रमुख अभियंता, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।

9/9/15

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

08/9/2015

SE (सामान्य)

11/9/15

14.09.15

18/9/15

212058
16/9/15

18/9